<u>अनुबंध 2</u>

डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोज़र के संबंध में प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटन

वित्तीय संस्थाएं व्युत्पन्न साधनों के संबंध में अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों पर चर्चा करेंगी जो व्युत्पन्न साधनों के उपयोग की मात्रा संबद्ध जोखिम और कारोबार के साध्य प्रयोजनों के विशिष्ट संदर्भ को लेकर होंगी । चर्चा में निम्नलिखित भी शामिल किये जाएंगे :

- व्युत्पन्न साधनों के व्यापार में जोखिम प्रबंधन हेतु ढांचा और संगठन।
- जोखिम के मापन, जोखिम रिपोटिंगं और जोखिम निगरानी प्रणालियों का विस्तार और स्वरूप।
- प्रतिरक्षा और/या जोखिम कम करने हेतु नीतियां और प्रतिरक्षा/जोखिम कम करनेवाले घटकों के निरंतर प्रभाव की निगरानी हेतु कार्यनीतियां एवं प्रक्रियाएं, और
- प्रतिरक्षा तथा गैर-प्रतिरक्षा के लेनदेन; आय, प्रीमियम और बट्टों का निर्धारण; बकाया ठेकों का मूल्यन; प्रावधानीकरण, संपार्श्विक तथा ऋण जोखिम कम करने के रिकाडिंगं हेतु लेखा नीति ।

<u>मात्रात्मक प्रकटन</u>

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न साधन	ब्याज दर व्युत्पन्न साधन
1.	**डेरिवेटिव कल्पित मूलधन**		
	क) हेजिंग के लिए		
	ख) व्यापार के लिए		
2.	**प्रतिभूतियों की दैनिक बाज़ार मूल्य स्थिति [1]**		
	क) आस्ति (+)		
	ख) देयता (-)		
3.	**ऋण एक्सपोज़र [2]**		
4.	**ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)**		
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर		
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर		
5.	**वर्ष के दौरान अनुपालन किये गये 100*पीवी01 का अधिकतम तथा न्यूनतम**		
	क) हेजिंग पर		
	ख) व्यापार पर		

टिप्पणी :

1. डेरिवेटिव के प्रत्येक प्रकार के लिए स्थिति के अनुसार आस्ति या देयता के अंतर्गत निवल स्थिति दर्शायी जाये।

2. वित्तीय संस्थाएं डेरिवेटिव उत्पादों के ऋण एक्सपोज़र की माप पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित चालू एक्सपोज़र पद्धति अपनाएं। अपनायी जानेवाली पद्धति संक्षेप में निम्नानुसार है :

चालू एक्सपोज़र पद्धति के तहत तुलन-पत्र बाह्य ब्याज दर तथा विनिमय दर लिखतों के सममूल्य ऋण एक्सपोज़र की गणना करने के लिए वित्तीय संस्था निम्नलिखित को जोड़ेगी :

- सकारात्मक मूल्यों (अर्थात् जब वित्तीय संस्था को प्रतिपक्ष से धन राशि प्राप्त होनी है) के साथ उसके सभी संविदाओं की कुल प्रतिस्थापन लागत (`बाज़ार मूल्य`, के आधार पर प्राप्त), और
- ऋण एक्सपोज़र में भविष्य में संभावित परिवर्तन के लिए राशि जिसका परिकलन संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के अनुसार निम्नलिखित ऋण परिवर्तक गुणकों द्वारा गुणा की गई संविदा की कुल कल्पित मूलधन राशि के आधार पर किया गया है :

शेष परिपक्वता अवधि	**आनुमानिक मूलधन राशि पर लागू किया जानेवाला परिवर्तक घटक**	
	ब्याज दर ठेका	**विनिमय दर ठेका**
एक वर्ष से कम	कुछ नहीं	1.0%
एक वर्ष और उससे अधिक	0.5%	5.0%

3. डेरिवेटिव संविदाओं में प्रतिपक्षी ऋण एक्सपोजर के कारण बाजार दर पर आधारित मूल्यों (एमटीएम) की द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती। अतः, वित्तीय संस्थाओं को पूंजी पर्याप्तता और एक्सपोजर मानदंडों के लिए ऐसी संविदाओं के बाजार दर पर आधारित सकाल धनात्मक मूल्य को ही गणना में शामिल करना चाहिए।